Helpline 1064

94135-02834

# कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

## प्रेस नोट

- **पाली में तहसील कार्यालय जैतारण का सहायक प्रशासनिक अधिकारी 6 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *07 दिसम्बर,* बुधवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एस.यू.अजमेर इकाई द्वारा आज पाली में कार्यवाही करते हुये हस्तीमल राव सहायक प्रशासनिक अधिकारी (पंजीयन लिपिक) कार्यालय तहसीलदार जैतारण, जिला पाली को परिवादी से **6 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

**भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी** ने बताया कि ए.सी.बी. की अजमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके भूखण्ड का पंजीयन कर पंजीयन दस्तावेज लौटाने की एवज में हस्तीमल राव सहायक प्रशासनिक अधिकारी (पंजीयन लिपिक) कार्यालय तहसीलदार जैतारण, जिला पाली द्वारा **6 हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, अजमेर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी की अजमेर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री राकेश कुमार वर्मा** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये हस्तीमल राव पुत्र श्री नारायण लाल निवासी रामद्वारा गैलेक्सी स्कूल के पास, मोतीनगर केलवाद, तहसील सोजत, जिला पाली हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी (पंजीयन लिपिक) कार्यालय तहसीलदार जैतारण, जिला पाली परिवादी से **6 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

**एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन.** के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

**एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी** ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।